न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—44 / 2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना—गोलूवाला जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

प्रेम सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति रायसिख निवासी 23 एमओडी पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री कुलदीप सिंह ओलख अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—23.12.2021**

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल प्रेम सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति रायसिख निवासी 23 एमओडी पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब व नशीली गोलियां बेचना का आदि है तथा आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल अवैध शराब व नशीली गोलियों के धंधे से आम जनता को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। कस्बा गोलूवाला के लोग इससे काफी भयभीत रहते है इसको शराब तथा नशीली गोलियों का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की कस्बा गोलूवाला में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, गोलूवाला के रिकॉर्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 7 अभियोग पजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं. व दिनांक	धारा	चालान	नतीजा अदालत
1.	201/4.11.07	एक्साइज एक्ट	चालान	सजा
2.	93/12.4.10	एक्साइज एक्ट	चालान	सजा
3.	238/1.12.10	एक्साइज एक्ट	चालान	सजा
4.	72/22.4.15	आरएनसी एक्ट	चालान	सजा
5.	122/12.1.17	एक्साइज एक्ट	चालान	सजा
6.	11/27.6.18	एक्साइज एक्ट	चालान	पैन्डिग कोर्ट
7	181/27.6.18	एनडीपीएस एक्ट	चालान	पैन्डिग कोर्ट

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए बाद समायत सलूक कानूनी फरमावे।

गैरसायल प्रेम सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति रायसिख निवासी 23 एमओडी पुलिस थाना गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28.01.2021 को जवाब इस्तगासा प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे राज. आबकारी अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर झूठे किये गये है तथा प्रार्थी अत्यधिक गरीब व्यक्ति है तथा प्रार्थी के खिलाफ बनाये गये इन झूठे मुकदमों में प्रार्थी पैरवी करने हेतु सक्षम नहीं था इसलिए प्रार्थी ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी लोकअदालत में प्रेरित करने पर उक्त मुकदमा में जुर्म स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त मुकदमें के अलावा आमजन को डराने धमकाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रार्थी के खिलाफ नहीं है न ही प्रार्थी द्वारा पूर्व में ऐसा कोई कार्य किया गया है जिससे आमजन में भय हो। प्रार्थी शान्तिपूर्ण तरीके से मजदूरी कर तथा नैतिकतापूर्ण व गरिमामय तरिके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि प्रार्थी अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत हरदयालपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व शपथ पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खिलाफ उक्त प्रकरण के बाद कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में जैरकार नहीं है। प्रार्थी मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहा हूं व शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा हूं। प्रार्थी किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई–झगड़ा नहीं करेगा और नही किसी प्रकार की परशान्ति भंग करेगा तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लुंगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए इसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(iii) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को छः माह की अवधि तक शांति बनाये रखने हेतु 5000–5000 रूपये के जमानत मुचलका पर पाबन्द किया गया एवं 100, 500 रूपये की जुर्माना राशि कारित की गई है। इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, गोलूवाला ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैर सायल ने बहस में निवेदन किया कि गैर सायल प्रेम सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति रायसिख ने अपने जीवन शैली में सुधार किया है तथा शराब के धन्धे को छोड़ चुका है तथा शान्तिपूर्ण तरीके से खेती–बाड़ी कर अपना जीवनयापन कर रहा है। वह गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा गांव में किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में थानाधिकारी पुलिस थाना, गोलूवाला द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, गोलूवाला को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़